

15-1-20 पत्रावली कायम पेश हुई।

अपील करार में अपील R19 की
द्वारा 19(1) के तहत प्रत्युक्त अपील के
कोषित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध
नहीं कराते से इसे विवेचित करके हेतु पेश की गई।
इस न्यायालय करार पर निर्यात जोर पर इसके
अपेक्षाकृत रा. मो. सू. क्र. 271 / 2019 / 93 कोर्ट के
13-1-2020 के अज्ञात करारों हैं कि अपील-खीनारि
के कोषित सूचना तदनुसार करार इसके फांफ
राजसू. 2019/4042 दि. 4-12-2019 के अधिन कर दी
गरे हैं। इस कारण अपील प्रकरण निरस्त कस्योत हेतु
निवेदन किया है।

इसके अति जिला कोलेक्टर राज्य लोक सूचना
अधिकारी कोलेक्टर पाली के अज्ञात अपील-कोषित
सूचना उपलब्ध करा दी गरे हैं एवं इस प्रकरण में
किसी प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं रहजाती है
प्रकरण जारी स्था. या निरस्त किया जाता है।

पत्रावली शुभारंभ के साथ होकर गल्ल
से कर दो।

जिला कलेक्टर, पाली